स्पीड पोस्ट
आवंटनादेश

संख्या– 6/एफ1–305/2015 श्र0सं0– 105

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

मो॰ सलीम,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर ।

पटना, दिनांक :- 24-2-16

विषय:- मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम- राज्य योजना-112-बंधुआ मजदूर का पुनर्वास- मांग संख्या-26 उपशीर्ष-0101-अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम (विपत्र कोड-पी॰ 2230011120101) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-1442 दिनांक-15.5.15 के आलोक में बंधुआ मजदूर पुनर्वास कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष-2015-16 में 31 मार्च, 2016 तक व्यय के निमित राज्यांश की राशि प्रति बंधुआ मजदूर ₹ 10,000/-(रूपये दस हजार) मात्र की दर से निधि का आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है। केन्द्रांश की राशि भारत सरकार से प्राप्त होने के उपरांत दी जाएगी।

प्राथमिक इकाईयाँ	जिला का नाम	कुल बंधुआ मजदूरों की संख्या	आवंटित राशि	अभ्युक्ति
व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ (28-01)	मुजफ्फरपुर	12	120000	उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर का पत्रांक-268 दिनांक-03.02.16 के आलोक में जयपुर राजस्थान से विमुक्त कराये गये सामान्य/अन्य कोटि के आठ तथा अनुसूचित जाति कोटि के 04 बंधुआ मजदूरों के लिए

कुल आवंटित राशि रूपये 1,20,000/- (रूपये एक लाख बीस हजार) मात्र ।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-295/वि0 दिनांक-24.03.15, पत्रांक-5294 वि॰ दिनांक-17.06.2015 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0(2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।

3. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नही किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।

4. इसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथा शीघ्र इस विभाग को उपलब्ध करा दी जाय ।

5. अनुसूचित जाति के लिए उपबंधित राशि समाप्त होने के कारण सामान्य जाति के लिए उपबंधित राशि में से अनुसूचित जाति के कुल 04 बंधुआ मजदूरों को लाभांवित करने हेतु राशि आवंटित की जा रही है।

विश्वासभाजन,
23/2/16
(मो॰ सलीम)
श्रम आयुक्त, बिहार।
23/02/16

ज्ञापांक-6/एफ1-305/2015 श्र0सं0- 103 पटना, दिनांक 24-2-16

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

23/2/16
(मो॰ सलीम)
श्रम आयुक्त, बिहार।
23/02/16

ज्ञापांक-6/एफ1-305/2015 श्र0सं0 103 पटना, दिनांक 24-2-16

स्पीड पोस्ट

प्रतिलिपिः- सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत / * **जिला कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर /उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर** /आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सहायक श्रमायुक्त प्रभारी पदाधिकारी, मुख्यालय एवं प्रशाखा-01 (श्रमपक्ष) को उनके गै०स०प्रे०सं०-57 (श्रमपक्ष) क्रमशः दिनांक-17.02.16 के आलोक में /प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/प्रशाखा-06, श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा-01) द्वारा किया जायेगा।

(मो० सलीम) 23/2/16
श्रम आयुक्त, बिहार ।
23/02/16